न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 16/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह झुरिया पुत्र मोहन राम ऋणी/रहनकर्त्ता
   निवासी 97 अथुना का बास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर– 332001।
   यहां भी....
   राजेन्द्र सिंह झुरिया पुत्र मोहन राम
   निवासी शॉप जोगानी कॉम्पलेक्स, ग्राउण्ड फ्लोर, वके कल्याण सर्किल के पास, सिहोदिया पेट्रोल पम्प, सिहोटिया बिल्डिंग के पीछे, जिला सीकर– 332001।
2. कमला देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह सहऋणी
   निवासी 97 अथुना का बास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर– 332001।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * सीकर (राज.) *

निर्णय

निर्णय दिनांकः 13-5-, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **राजेन्द्र सिंह झुरिया, कमला देवी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **शॉप जोगानी कॉम्पलेक्स, ग्राउण्ड फ्लोर, वके कल्याण सर्किल के पास, सिहोदिया पेट्रोल पम्प, सिहोटिया बिल्डिंग के पीछे, जिला सीकर– 332001 राज. जिसकी नाप 10.26 वर्गगज मालिकाना हक राजेन्द्र सिंह का है एवं जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में शॉप रोहित जी मील, पश्चिम में रास्ता 10 फिट चौड़ा, उत्तर में दुकान डिग्गर, दक्षिण में सिढियां हैं,** को बंधक रखकर 5,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये **पांच लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **04.05.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

and delivered to the said counsel(s).

Scanned by CamScanner

संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **04.05.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **राजेन्द्र सिंह झुरिया, कमला देवी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **शॉप जोगानी कॉम्पलेक्स, ग्राउण्ड फ्लोर, वके कल्याण सर्किल के पास, सिहोदिया पेट्रोल पम्प, सिहोटिया बिल्डिग के पीछे, जिला सीकर– 332001 राज. जिसकी नाप 10.26 वर्गगज मालिकाना हक राजेन्द्र सिंह का है एवं जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में शॉप रोहित जी मील, पश्चिम में रास्ता 10 फिट चौड़ा, उत्तर में दुकान डिग्गर, दक्षिण में सिढियां हैं,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 13-5- **2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner